# प्रेस नोट

**सराहनीय कार्य कानपुर देहात**
**दिनांक- 23.04.2024**

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा गौ तस्करों के विरुद्ध की जा रही कडी कार्यवाही।**
- **अन्तर्राज्यीय स्तर पर गौ तस्करी करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को थाना राजपुर पुलिस द्वारा 01 लाख 500 रुपये के साथ किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना राजपुर पर गौवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग का खुलासा करने हेतु किया गया था, टीम का गठन।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण व गौ तस्करी की घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 03.04.2024 को थाना राजपुर पर मु0अ0सं0 29/2024 धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना क्रम में साक्ष्य के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.मो0 फिरोज खां पुत्र मो0 अब्दुल रहमान निवासी वार्ड नं0 19 लीपगंज चट्टी कस्बा व थाना शेरघाटी जनपद गया (बिहार) 2.सलमान पुत्र शेरमोहम्मद निवासी वार्ड नं0 12 ईदगाह मोहल्ला थाना मेलानी जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश को थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 23.04.2024 को समय 13.30 बजे बिरहना ओवर ब्रिज थाना सिकन्दरा कानपुर देहात से गिरफ्तार करते हुए 1 लाख 500 रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तगण द्वारा गौवंश तस्करी की घटना में प्रयोग में लाये गये कंटेनर वाहन नं0 HR 55T 5364 की जप्तीकरण की प्रक्रिया नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट जनपद कानपुर देहात द्वारा की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**पूछताछ विवरणः-** पूछताछ करने पर अभियुक्त मो0 फिरोज खां पुत्र मो0 अब्दुल रहमान तथा अभियुक्त सलमान पुत्र शेर मोहम्मद द्वारा दिनाँक 03.04.2024 की रात्रि में ग्राम दमनपुर के जंगल में गौवंशों को कंटेनर में लादकर तस्करी हेतु ले जाने की बात स्वीकार की हैं। घटना में प्रयुक्त कटेनर नं0 HR 55T 5364 का वाहन स्वामी मो0 फिरोज खां हैं। जिसके द्वारा अपने वाहन को सहअभियुक्त सलमान को गौवंश तस्करी हेतु ग्राम दमनपुर के जंगलो में दिनाँक 03.04.2024 को भेजा गया, जहां पर अन्य अभियुक्तगण मदन सिंह जनपद बूंदी (राजस्थान) व राशिद (जनपद औरैया) द्वारा गौवंश इकट्ठा किये गये थे। इन गौवंशों को कटेनर में लादकर तस्करी हेतु गैर प्रांन्त भेजा जाता हैं।

वांछित अभियुक्त गण मदन सिंह व राशिद की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

**अभियुक्तगण का नाम व पता-**

1.मो0 फिरोज खां पुत्र मो0 अब्दुल रहमान निवासी वार्ड नं0 19 लीपगंज चट्टी कस्बा व थाना शेरघाटी जनपद गया बिहार उम्र करीब 63 बर्ष।

2.सलमान पुत्र शेरमोहम्मद उम्र 32 बर्ष निवासी वार्ड नं0 12 ईदगाह मोहल्ला थाना मेलानी जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त मो0 फिरोज व अभियुक्त सलमान-**

1. मु0अ0सं0 29/2024 धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना राजपुर, कानपुर देहात।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष श्री प्रभात सिंह थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
2. उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
3. हे0का0 579 विवेक तोमर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
4. का0 481 अम्बरीश देशवाल थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।